भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1190

उत्तर देने की तारीख 27.07.2026

कला संस्कृति विकास योजना और रेपर्टोरी अनुदान

1190. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्री भोजराज नाग :

श्री हरिभाई पटेल :

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री राजकुमार चाहर :

श्री आलोक शर्मा :

श्री नव चरण माझी :

श्री बलभद्र माझी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'कला संस्कृति विकास योजना' और 'कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना' के अंतर्गत नए सिरे से आमंत्रित आवेदनों के अंतर्गत सांस्कृतिक संगठनों के लिए आनुपातिक-हिस्सेदारी के वित्तपोषण संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टियर-III शहरों, विशेषकर ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे आकांक्षी और जनजातीय लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में गुरु-शिष्य परंपरा रेपर्टोरी अनुदान के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत अनुदानों और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): 'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम' सहित कला संस्कृति विकास योजना के विभिन्न स्कीम घटकों के अंतर्गत आवेदन, जिसमें प्रत्येक स्कीम के दिशा-

निर्देशों में संगठनों के लिए निर्धारित मौजूदा मैचिंग-शेयर फंडिंग मानदंडों के अनुसार आमंत्रित किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा अब तक मैचिंग-शेयर मानदंडों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग): निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया गया है, जिससे आवेदनों को जमा करने और संसाधित करने के लिए अधिक पारदर्शी, मानकीकृत और सुलभ प्रणाली सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा, अनुमोदित संगठनों के लाभार्थियों (गुरु और शिष्यों) को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे वित्तीय सहायता जारी की जाती है, जिससे धनराशि का समय पर और पारदर्शी अंतरण सुनिश्चित होता है और बिचौलियों का हस्तक्षेप घटता है।

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और इसका डेटा का रखरखाव निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। वर्तमान अनुदान वर्ष 2026-27 के लिए 1,983 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
